BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 42/2024

IN THE MATTER OF:

M/S GUPTA OIL MILL DEPOT .... APPELLANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD & ANR .....RESPONDENT(S)

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Letter dated 09.11.2024 sent by Headquarter to the Regional Officer, UPPCB.	1
2.	Closure order dated 26.09.2024 issued by UPPCB against Appellant.	2 – 4
3.	Letter dated 12.08.2024 sent by Regional Officer, UPPCB, Kanpur Nagar to Chief Environmental Officer, Circle-2, UPPCB.	5
4.	Inspection report dated 12.08.2024	6
5.	Reply dated 08.07.2024 sent by the Appellant.	7 – 11
6.	Form-C in respect of Appellant.	12
7.	Showcause notice dated 21.06.2024 issued by UPPCB to Appellant.	13 – 14
8.	Letter dated 13.06.2024 sent by Regional Officer, UPPCB to the Chief Environmental Officer, Circle-2, UPPCB alongwith inspection report dated 13.06.2024.	15 – 16

NEW DELHI
DATED 31.03.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi 110001
Mobile 9810252518
Email ID : pradeepmisra@yahoo.com

Rcvd by post 26/11/24

Annexure-1

60

-13-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No 419577/वि-2/NGT-867/24

दिनाँक / Date 9-11-2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कानपुर नगर।

ई–मेल

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा अपील सं0 42/2024 M/s Gupta Oil Mill Depot Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Anr. में पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा अपील सं0 42/2024 M/s Gupta Oil Mill Depot Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Anr. में पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं :–

1. Learned Counsel for the appellant seeks adjournment.
2. List on 15.01.2025

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा की गयी अपील की प्रति एवं आदेश की प्रति ईमेल दिनांक 06.11.2024 के माध्यम से आपको अग्रसारित की गयी है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2024 एवं अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील में की गयी याचना तथा उल्लिखित तथ्यों के सम्बंध में प्रस्तरवार आख्या तैयार कर विधि अनुभाग एवं बोर्ड अधिवक्ता सुश्री स्थवी अस्थाना से सम्पर्क कर ससमय आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से बोर्ड मुख्यालय को अवगत करायें।

भवदीय

Atulesh yadav

(अतुलेश यादव)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–2

प्रतिलिपि–मुख्य विधि अधिकारी (प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–2

EE
25/11/24

NGT letters

Annexure 2

61 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No. 4178716/सी-2/जल-1777/बन्दी .../24

दिनांक / Date 26-9-24

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो,
119/82, नसीमाबाद, गुमठी नं0-5,
जनपद-कानपुर नगर।

यह कि उद्योग **मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमठी नं0-5, जनपद-कानपुर नगर** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, इकाई सरसों का तेल निकालने का कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 12.08.2024 की आख्यानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर स्तर से दिनांक 12.08.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई में उत्पादन कार्य होता पाया गया। उक्त इकाई में रॉ-सरसों की पिराई हेतु 03 नग स्पेलर एवं 01 नग फिल्टर स्थापित पाया गया। इकाई में जल का प्रयोग फ्लोर वाशिंग एवं सरसों का तेल निकालने हेतु प्रयुक्त पात्रों की धुलाई हेतु किया जाता है। फ्लोर वाशिंग एवं पत्रों की धुलाई प्रकिया से जनित अशोधित उत्प्रवाह को स्थानिक नगरीय सीवेज प्रणाली में निस्तारित किया जाता है। इकाई प्रतिनिधि द्वारा इकाई का स्थल का निरीक्षण कराये जाने में बाधा उत्पन्न की गयी थी। इकाई परिसर में स्थापित प्लान्ट मशीनरी के संचालन समय ध्वनि तीव्रता की जॉच की गयी। परिसर के अन्दर ध्वनि की तीव्रता 110 डीबी(ए) एवं परिसर के बाहर 95 डीबी(ए) पायी गयी, जो कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र हेतु निर्धारित मानकों से अधिक है। इकाई को स्थापना/संचालन हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्रदत्त नहीं है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर की आख्या दिनांक 12.08.2024 द्वारा उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत दिनांक 21.06.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है :-

1. यह कि **मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमठी नं0-5, जनपद-कानपुर नगर** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, कानपुर नगर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

Noted 375

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com Chemical clo- order

62

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No. 1/17876 / ... / ... /24 दिनांक / Date 26-9-24

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो,
119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0-5,
जनपद-कानपुर नगर।

Regd 30/09/2

यह कि उद्योग **मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0-5, जनपद-कानपुर नगर** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, इकाई सरसों का तेल निकालने का कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 12.08.2024 की आख्यानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर स्तर से दिनांक 12.08.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई में उत्पादन कार्य होता पाया गया। उक्त इकाई में रॉ-सरसों की पिराई हेतु 03 नग स्पेलर एवं 01 नग फिल्टर स्थापित पाया गया। इकाई में जल का प्रयोग फ्लोर वाशिंग एवं सरसों का तेल निकालने हेतु प्रयुक्त पात्रों की धुलाई हेतु किया जाता है। फ्लोर वाशिंग एवं पत्रों की धुलाई प्रकिया से जनित अशोधित उत्प्रवाह को स्थानिक नगरीय सीवेज प्रणाली में निस्तारित किया जाता है। इकाई प्रतिनिधि द्वारा इकाई का स्थल का निरीक्षण कराये जाने में बाधा उत्पन्न की गयी थी। इकाई परिसर में स्थापित प्लान्ट मशीनरी के संचालन समय ध्वनि तीव्रता की जॉच की गयी। परिसर के अन्दर ध्वनि की तीव्रता 110 डीबी(ए) एवं परिसर के बाहर 95 डीबी(ए) पायी गयी, जो कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र हेतु निर्धारित मानकों से अधिक है। इकाई को स्थापना/संचालन हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्रदत्त नहीं है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर की आख्या दिनांक 12.08.2024 द्वारा उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत दिनांक 21.06.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है :-

1. यह कि **मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0-5, जनपद-कानपुर नगर** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, कानपुर नगर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

BE Noted 3278 30/09/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

3

Chemical clo- order

63

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / Ref. No. 1/17876 / 2 / 177

दिनांक / Date 26-9-24

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो,
119/82, नसीमाबाद, गुमठी नं0–5,
जनपद–कानपुर नगर।

Recd 30/09

यह कि उद्योग **मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमठी नं0–5, जनपद–कानपुर नगर** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, इकाई सरसों का तेल निकालने का कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 12.08.2024 की आख्यानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर स्तर से दिनांक 12.08.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई में उत्पादन कार्य होता पाया गया। उक्त इकाई में रॉ–सरसों की पिराई हेतु 03 नग स्पेलर एवं 01 नग फिल्टर स्थापित पाया गया। इकाई में जल का प्रयोग फ्लोर वाशिंग एवं सरसों का तेल निकालने हेतु प्रयुक्त पात्रों की धुलाई हेतु किया जाता है। फ्लोर वाशिंग एवं पत्रों की धुलाई प्रकिया से जनित अशोधित उत्प्रवाह को स्थानिक नगरीय सीवेज प्रणाली में निस्तारित किया जाता है। इकाई प्रतिनिधि द्वारा इकाई का स्थल का निरीक्षण कराये जाने में बाधा उत्पन्न की गयी थी। इकाई परिसर में स्थापित प्लान्ट मशीनरी के संचालन समय ध्वनि तीव्रता की जॉच की गयी। परिसर के अन्दर ध्वनि की तीव्रता 110 डीबी(ए) एवं परिसर के बाहर 95 डीबी(ए) पायी गयी, जो कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र हेतु निर्धारित मानकों से अधिक है। इकाई को स्थापना/संचालन हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्रदत्त नहीं है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर की आख्या दिनांक 12.08.2024 द्वारा उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत दिनांक 21.06.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है :–

1. यह कि **मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमठी नं0–5, जनपद–कानपुर नगर** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त

EE

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– 30/9/24

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, कानपुर नगर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Noted 375

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Chemical clo. order

-8-

Annexure-3

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
कानपुर नगर

संदर्भ 796/आ०-14/24 दिनांकः 12/08/24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0–5, जनपद–कानपुर नगर को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच12796/सी–2/जल–1773/24, दिनांक 21.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से इकाई मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0–5, जनपद–कानपुर नगर को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 12.08.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई में उत्पादन कार्य होता पाया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये इकाई मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0–5, जनपद–कानपुर नगर के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच12796/सी–2/जल–1773/24, दिनांक 21.06.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय

(इं0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

5

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्यानपुर, कानपुर नगर– 208 017
ई–मेल : rokanpur@uppcb.in, फोन : 0512– 2510999

RO_AmitMishrasir_sudhir

मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0–5, जनपद–कानपुर नगर को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में आख्या।

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच12796/सी–2/जल–1773/24, दिनांक 21.06.2024 द्वारा इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 12.08.2024 को इकाई का निरीक्षण किया गया। इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री रवि किशोर गुप्ता (प्रोपराइटर) उपस्थित थे, आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त इकाई मकान नं0 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0 5, कानपुर नगर पर मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो के नाम से सरसों का तेल निकालने की इकाई स्थापित/संचालित है। निरीक्षण के समय इकाई में उत्पादन कार्य होता पाया गया। उक्त इकाई में रॉ–सरसों का प्रयोग कर लगभग–4000 ली0/दिन सरसों का उत्पादन किया जाता है। इकाई में सरसों की पिराई हेतु 03 नग स्पेलर एवं 01 नग फिल्टर स्थापित पाया गया।
2. उक्त इकाई में जल का प्रयोग फ्लोर वाशिंग एवं सरसों का तेल निकालने हेतु प्रयुक्त पात्रों की धुलाई हेतु किया जाता है। फ्लोर वांशिग एवं पात्रों की धुलाई प्रक्रिया से जनित अशोधित उत्प्रवाह को स्थानिक नगरीय सीवेज प्रणाली में निस्तारित किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि द्वारा इकाई का स्थल का निरीक्षण कराये जाने में बाधा उत्पन्न की गयी थी। इकाई परिसर में स्थापित प्लान्ट मशीनरी के संचालन समय ध्वनि तीव्रता की जॉच की गयी। परिसर के अन्दर ध्वनि की तीव्रता 110 डीबी(ए) एवं परिसर के बाहर 95 डीबी(ए) पायी गयी, जो कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र हेतु निर्धारित मानकों से अधिक है।
4. उक्त शिकायती स्थल के आस–पास रिहायशी क्षेत्र है, जिससे आस–पास के निवासियों को परेशानी होना स्वाभाविक है। उक्त शिकायती स्थल नगर निगम की सीमान्तर्गत आच्छादित है।
5. उक्त इकाई को स्थापना/संचालन हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्रदत्त नहीं है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार इकाई को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच12796/सी–2/जल–1773/24, दिनांक 21.06.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में इकाई द्वारा अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में दिनांक 08.07.2024 को प्रस्तुत किया गया है।
7. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्रांक बी–29012/ईएसएस(सीपीए)/2015–16/, दिनांक 07.03.2016 द्वारा वर्गीकृत की गयी इकाईयों की सूची के अनुसार उक्त इकाई ग्रीन केटेगरी के क्रमांक सं0 29 के ओरिजनल नं0 59 के अन्तर्गत आच्छादित है।
8. आवासीय क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के संचालन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने वाद संख्या–34957/2003, दिनांक 13.08.2003 को आदेश पारित किये गये है। तदोपरान्त मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने अपने शासनादेश संख्या–सी0एस0– 89(1)/ 6–आ–3–2003–62 रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर निगम को निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये इकाई के विरूद्ध आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर निगम को पत्र प्रेषित किये जाने एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच12796/सी–2/जल–1773/24, दिनांक 21.06.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

12.08.24	12/08/24	12-08-24	12-08-24
(ऐश्वर्य शुक्ला)	(भरत शुक्ला)	(एस0के0 अवस्थी)	(फरेश कुमार)
एफ0ए0	जे0आर0एफ0	अनु0 सहा0	सहा0पर्या0अभि0

पर्या0अभियन्ता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

12/8/24

12/08/2024

Annexure 5

-6-

A 8/7/24

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य पर्यावरण अधिकारी, कानपुर रीजन,
प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास–3
कल्यानपुर, कानपुर नगर।

विषयः– आपके संदर्भ सं0– एच 12796 / सी–2 / जल–1773 / 24 दिनांक 21.06.2024 के सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त दिनांक 27.06.2024।

महोदय,

EE
AEE(T)
10/7/24

आपके द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित नोटिस में उल्लखित तथ्य सर्वथा गलत, निराधार एवं सत्य से परे है। वास्तविक तथ्य यह है कि मेसर्स गुप्ता आयल मिल डिपो कोई कम्पनी नहीं है बल्कि वह लेबर रजिस्ट्रेशन के हिसाब शॉप एण्ड कामर्शियल इस्टेबलिशमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत रजि० है जिसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटो प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। उक्त मेसर्स गुप्ता आयल मिल डिपो में तीन नग स्पेलर एवं एक नग फिल्टर स्थापित है। उक्त फर्म में केबल सरसों की पिरायी का कार्य होता है। उक्त स्पेलर की धुलायी नहीं होती है न ही धुलायी का कोई प्रोविजन है। वर्षों में स्पेलर में यदि गंदगी जम जाती है तो स्पेलर को खोलकर बाहर सर्विस के लिए ले जाया जाता है और स्पेलर को गर्म करके उसकी गंदगी एवं सफाई की जाती है जिसकी आवश्यकता 5–10 वर्षों में पड़ती है, जहां तक फर्श की धुलाई का सवाल है, फर्श की भी धुलाई नहीं की जाती है बल्कि फर्श को झाड़ने के उपरान्त पोछा लगाया जाता है। अतः उक्त मेसर्स गुप्ता आयल मिल डिपो में पानी का कतई इस्तेमाल नहीं होता है। दिनांक 13.06.24 को कोई भी अधिकारी निरीक्षण करने नही आया था। अतः आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित तथ्य मगढ़न्त एवं गलत है। मेसर्स गुप्ता आयल मिल डिपो एक कृषि आधारित इकाई है जिसमें केवल सरसों की पिराई का कार्य होता है।

मेसर्स गुप्ता आयल मिल डिपो डिपार्टमेन्ट आफ फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथारिटी आफ इण्डिया लाइसेन्स अण्डर एफ.एस.एस.ए.आई एक्ट 2006 के अर्न्तगत लाइसेंस प्रदान किया गया है। उक्त अथारिटी द्वारा समय समय पर मुआयना किया जाता है एवं यदि कोई भी चीज गलत पाई जाती है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचता है तो उक्त अथारिटी लाइसेंस को निरस्त कर देती है। परन्तु उक्त अथारिटी द्वारा मुआयने

7

Cont..........2

के उपरान्त लाइसेन्स निरस्त नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि आप द्वारा आरोपित तथ्य असत्य है। आपके विभाग द्वारा दिनांक 03.06.97 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसका Ref No. GO2164/37/ARN/97 जारी किया गया था, जिसमे जो लघु उद्योग प्रदूषण नियंत्रण से बाहर है की लिस्ट जारी की गयी थी जिसकी फोटो प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है जिसमें Schedule- A के Sr. No- 42 Oil Grinning/expelling (Non hydrogenation and no refining and without boiler) लघु उद्योग के प्राविधानों से मुक्त है। अतः आप द्वारा प्रेषित नोटिस पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है तथा उक्त नोटिस मनगढ़न्त आधारों पर प्रेषित किया गया है और उत्त आधारों पर मे० गुप्ता आयल मिल डिपो के विरूद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित करना न्यायोचित नहीं होगा एवं आप से सविनय निवेदन है कि उक्त नोटिस को निरस्त करने की मेहरबानी करें, बड़ी दया होगी।

धन्यवाद

संलग्नः—

प्रार्थी

रवि किशोर गुप्ता

म०नं० 119/82, नसीमाबाद

गुमटी नं0 5, कानपुर नगर।

मो0—7985152283

मै0 गुप्ता आयल मिल डिपो।

1. Pollution Notification Copy.
2. FSSAI Registration Copy.

8

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

Ref.No. GO2164/37/ARN/97 **Date: 3-6-97.**

Pursuant to the decision taken by the Government of Uttar Pradesh on 05.2.1997 and subsequent directions issued on 21.2.1997, the U.P. Pollution Control Board hereby notifies for information and clarification to General Public and all persons concerned and affected, thereby, that subject to fulfilment of following conditions , Small Scale industries mentioned in Schedule-I shall be exempted from the restrictions imposed vide publication no.G.O./933/37/96 dated 09.7.1996:-

1 All non-obnoxious and non-hazardous small scale industries. (It is clarified that obnoxious and hazardous industries are those using infammable,explosive,corrosive or toxic substance.)

2. All such small scale industries which are proposed to be located within the prescribed industrial area or in area conforming to the prescribed land use. No Objection Certificate should not be issued in Residential Areas and in areas not conforming to prescribed land use. The land use certificate from the competent authority only, must be obtained before the registration. The responsibility for compliance of conditions of land use certificate will be on the General Manager, District Industriesd Centre, who will furnish Compliance report, in this regard, to U.P. Pollution Control Board, regularly.

   General Manager, District Industries Centre will personally ensure that in municipal limits, the - industries shall be permitted to establish only after the full compliance of prescribed land-use norms/conditions.

3. All such small scale industries, which do not consume any fuel in manufacturing or any subsidiary process or do not emit process emissions and fugitive emissions of a diffused nature. Liquid fuel may be used in the D.G. sets of upto 5 K.V.A., only. It is clarified that in such area/areas, which have been/will be identified as prohibited and restricted area such a Doon- Valley region and Agra-Mathura region i.e. Taj Trapezium zone., no D.G. sets shall be permitted irrespective of their capacity.

4. All such small scale industries, which do not discharge industrial effluent of a polluting nature and have suitable arrangements for disposal and treatment of their sewage/domestic effluent.

5. All such small scale industries which do not undertake any of the following process:-

   Electroplating
   Galvanizing
   Bleaching
   Degreasing, phosphating
   Dyeing
   Picklisng, tanning
   Cooling of fibers and Digesting

9

Desizing of fabric
Unhairing, Soaking, Deliming and bating of hides

Trimming, pulling, juicing and blanching of fruits and Vegetables.

Stopping and processing of grain
Distilliation of alcohol, stillage, evaporation
Slaughtering of animals, rendering of bones, washing of meat
Juice of sugar cane, extraction of sugar, Filteration, Centrifugation,
Distillation Pulp-making, pulp-process and paper making, coking of coal,
washing of blast furnance flue gases
Stripping of oxides
Washing of latex etc.
Solvent extractions
Chemical processing

6. It shall be ensured that the proposed activity does not cause ambient noise to violate the prescribed standards. The responsibility of the District Industries Centre in this respect shall be absolute.
7. Industries which do not satisfy any one of the above criteria from points 1 to 6 or carryout any modification, extension or addition in their industrial processes or operations, resulting in generation of any trade effluent or air pollutant, shall be required to obtain the consent to establish (i.e. No. Objection Certificate from the U.P. Pollution Control Board before their establishment as per provisions of the Water Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981.

(DR. C.S. BHATT)
MEMBER SECRETARY.

SCHEDULE -I

Some of the Industries that ordinary fall in the non-obnoxous,non-hazardous and non-polluting category subjects fulfilment of all the conditions are as follows:-

1. Atta-Chakkies
2. Rice Mullors
3. Iceboxes
4. Dal Mill
5. Groundnut decortinating (Dry)
6. Chilling
7. Tailoring and garment making
8. Appart making
9. Cotton and Wollen Hosiery
10. Handloom weaving
11. Shoe lace manufacturing
12. Gold and silver thread and sari work

-4-

13. Gold and silver smithy (electric heating only)
14. Leather foot wear and leather products, excluding tanning & hide processing.
15. Manufacture of mirror form sheet glass and photo frame
16. Musical instruments manufacturing
17. Sports goods
18. Bamboo and cane products (only dry operations)
19. Card Board and paper products (Paper & Pulp manufacture excluded)
20. Insulation and Other Coated Papers (Paper & Pulp manufacturer excluded)
21. Scientific and Mathematical Instruments
22. Furniture (Wooden and Steel)
23. Assembly of domestic electrical appliances
24. Radio assembling, public address equipment (assembly)
25. Fountain Pens
26. Ploythen, Plastics & PVC Goods (Through Extrusion/Moulding)
27. Surgical gauge & Bandages
28. Railway Sleepers (only concrete)
29. Cotton spinning and weaving
30. Rope (Cotton and plastic)
31. Carpet weaving
32. Assembly of Air coolers
33. Wires, pipes-extruded shapes from metals
34. Automobile repair stations (Dry process)
35. Assembly of Bicycles, baby carriages and other small non-motorized vehicles.
36. Electronics equipment (assembly)
37. Toys
38. Candles
39. Carpentry-excluded saw mill
40. Cold storage (small scale)
41. Restaurants (small)
42. Oil-grinning/expelling (non-hydrogenation and no refining and without boilers)
43. Teas stall
44. Mineralized water
45. Jobbing & Machining
46. Manufacture of steel & suit cases
47. Paper pins & U clip
48. Block making for printing
49. Optical frames
50. Earthern-ware/potteries by electrical heating
51. Plaster of Pans, chalk, crayons
52. Marble cutting and grinding
53. Cement products like gamla, jalee, blocks
54. Dry cleaning
55. Repair of Tyre and Tubes by cold process
56. Paper lamination
57. Small bakery with electric oven
58. Confectionary without furnace (without fuel)

//

Annexure-56

Form C

Government of Uttar Pradesh

Department of Food Safety and Drug Administration

Food Safety and Standards Authority of India

License under FSS Act, 2006

अनुज्ञप्ति संख्या / License Number: **12724045000654**

1. Name & Registered Office address of Licensee / अनुज्ञप्तिधारी के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता: M/S. GUPTA OIL MILL DEPO PROP. RAVI KISHOR S/O RAM DAS GUPTA 119/82, NASEEMABAD, KANPUR, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208012

2. Address of Authorized Premises / प्राधिकृत परिसरो का पता: 119/82, NASEEMABAD, KANPUR, NAGAR NIGAM FOOD SAFETY ZONE-19, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208012

Kind of Business / कारोबार का प्रकार: Manufacturer - General Manufacturing
Trade/Retail - Wholesaler
Trade/Retail - Retailer

4. Dairy Business Details / डेयरी कारोबार विवरण हेतु : No

5. Category of License / अनुज्ञप्ति का वर्ग: **State License**

This license is granted under and is subject to the provisions of FSS Act, 2006 all of which must be complied with by the licensee. / यह अनुज्ञप्ति खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुदत्त की गई और वह अधिनियम के उपबंधो के अध्यादीन है जिनका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवश्य पालन किया जाना चाहिए.

Place / स्थान: Kanpur Nagar
Issued On / दिनांक: 07-06-2024 (New License)
Valid Upto: / वैधता: 06-06-2029 (For details, refer Annexure)

Designated Officer
Date : 07-06-2024 12:13:56
User Id : 106234
Verified through Mobile : 99XXXXXX21
License Grant on : 07-06-2024 11:46:43
License Issued On : 07-06-2024 12:13:56

Annexures:
1. Product Annexure
2. Validity Annexure
3. Non-Form C Annexure
4. Conditions Of License

12

Annexure.7 72 A27/6 -3-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No. H/2796 /टी-2/जल-1773/24 दिनॉक / Date 21-6-24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो,
119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0–5,
कानपुर नगर।

यह कि मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0–5, कानपुर नगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा– 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। जोकि सरसों का तेल निकालने की इकाई के रूप में उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है।

यह कि उद्योग मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0–5, कानपुर नगर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बंध में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के अधिकारियों द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 13.06.2024 को किया गया। उक्त इकाई में रॉ–सरसों का प्रयोग कर लगभग 4000 ली0/दिन सरसों का उत्पादन किया जाता है। उक्त इकाई में सरसों की पिराई हेतु 3 नग स्पेलर एवं 01 नग फिल्टर स्थापित पाया गया। इकाई में जल का प्रयोग फ्लोर वाशिंग एवं सरसों का तेल निकालने हेतु प्रयुक्त पात्रों की धुलाई हेतु किया जाता है। फ्लोर वाशिंग एवं पात्रों की धुलाई प्रक्रिया से जनित अशोधित उत्प्रवाह को स्थानिक सीवेज प्रणाली में निस्तारित किया जाता है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई द्वारा स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति/सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। उक्त शिकायती स्थल के आसपास रिहायशी क्षेत्र है, जिससे आसपास के निवासियों को परेशानी होना स्वाभाविक है। उक्त शिकायती स्थल नगर निगम की सीमान्तर्गत आच्छादित है। उक्त इकाई द्वारा अशोधित उत्प्रवाह को सीधे स्थानिक सीवेज प्रणाली में निस्तारित किये जाने के कारण इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

JRP(B)
SKA(MA)
28/6/24
Noted-234

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 13.06.2024 द्वारा आवासीय क्षेत्र तथा नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाई के संचालन से जन स्वास्थ्य तथा नगरीय सीवेज की गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत् मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0–5, कानपुर नगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा–33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उद्योग के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0–5, कानपुर नगर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यो न मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0–5, कानपुर नगर को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तुरन्त बन्द कर दिया जाए।

साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई के विरूद्ध उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं उसके स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

क्रमशः........ 2/–

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि इकाई को कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति सुनिश्चित करायें तथा पुनः निरीक्षण कर कारण बताओ नोटिस के निर्देशों के सम्बंध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या निर्धारित समयावधि में मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

14

Annexure-8

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषणनियन्त्रण बोर्ड
कानपुर नगर

पत्रांक 456/स्था-1/24 दिनांकः 13-6-24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0 5, कानपुर नगर के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कार्यालय में दूरभाष के माध्यम से प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 13.06.2024 को किया गया। उक्त इकाई में रॉ–सरसों का प्रयोग कर सरसों का तेल का उत्पादन किया जाता है। फ्लोर वांशिग तथा पात्रों की धुलाई प्रक्रिया से जनित अशोधित उत्प्रवाह को स्थानिक सीवेज प्रणाली में निस्तारित किया जाता है। आवासीय क्षेत्र में संचालित व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य) में आदेश पारित किये गये है। उक्त इकाई द्वारा आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक कार्य किया जा रहा है। उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से सहमति प्रदत्त नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत इकाई मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0 5, कानपुर नगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोक्त

भवदीय,

(इं0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को निषेधित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

15

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्यानपुर, कानपुर नगर– 208 017
ई–मेल : rokanpur@uppcb.in,फोन : 0512– 2510999

RO AmitMishrasir dh

कार्यालय में दूरभाष के माध्यम से प्राप्त मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो, 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0 5, कानपुर नगर में इकाई के विरूद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त शिकायती स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 13.06.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल के प्रतिनिधि के रूप में श्री रवि किशोर गुप्ता, प्रोपराइटर उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है:—

1. उक्त शिकायती स्थल मकान नं0 119/82, नसीमाबाद, गुमटी नं0 5, कानपुर नगर पर मैसर्स गुप्ता ऑयल मिल डिपो के नाम से सरसों का तेल निकालने की इकाई स्थापित/संचालित है।
2. उक्त इकाई में रॉ—सरसों का प्रयोग कर लगभग—4000 ली0/दिन सरसों का उत्पादन किया जाता है।
3. उक्त इकाई में सरसों की पिराई हेतु 03 नग स्पेलर एवं 01 नग फिल्टर स्थापित पाया गया।
4. उक्त इकाई में जल का प्रयोग फ्लोर वाशिंग एवं सरसों का तेल निकालने हेतु प्रयुक्त पात्रों की धुलाई हेतु किया जाता है। फ्लोर वांशिग एवं पात्रों की धुलाई प्रक्रिया से जनित अशोधित उत्प्रवाह को स्थानिक सीवेज प्रणाली में निस्तारित किया जाता है।
5. निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई को स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति/सहमति प्रदत्त नहीं है।
7. उक्त शिकायती स्थल के आस—पास रिहायशी क्षेत्र है, जिससे आस—पास के निवासियों को परेशानी होना स्वाभाविक है। उक्त शिकायती स्थल नगर निगम की सीमान्तर्गत आच्छादित है।

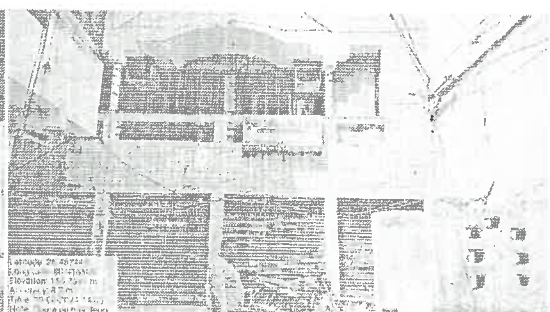

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त इकाई द्वारा अशोधित उत्प्रवाह को सीधे स्थानिक सीवेज प्रणाली में निस्तारित किये जाने के कारण इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

13/06/24 (ऐश्वर्य शुक्ला) एफ0ए0

13/06/24 (भरत शुक्ला) जे0आर0एफ0

13.06.24 (एस0के0 अवस्थी) अनु0सहा0

पर्यावरण अभियन्ता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

16

13/6/24

13/06/2024

Appeal No 42 of 2024 Gupta Oil Mill Vs U P Pollution ControlBoard

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)
To: mansichahal104@gmail.com; kapilsagar1990@gmail.com
Date: Monday, March 31, 2025 at 12:27 PM GMT+5:30

Sir/Madam,

Please find attached the Original Record

With Regards,

(PRADEEP MISRA)

Gupta Oil Original Recort.pdf
1.2MB